रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941
No. 237] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 284(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2019 है।

   (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 में ---

   (क) पैरा 55 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

   "55. लेखाओं का प्ररुप – कर्मचारी भविष्य निधि के लेखा और कर्मचारी भविष्य प्रशासन लेखा आयुक्त द्वारा ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति से जैसा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, बनाए रखा जाएगा।"

   (ख) प्ररुप 10 और प्ररुप 11 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस-35012/7/2018 एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 1182(अ) तारीख 6 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 284(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-

(a) for paragraph 55, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"55 Form of accounts.- The accounts of the Employees' Provident Funds and the Employees' Provident Administration Account shall be maintained by the Commissioner in such form and in such manner as may be specified by the Central Board with the approval of the Central Government.";

(b) Forms 10 and 11 shall be omitted.

[F. No. S-35012/7/2018-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was last amended *vide* number G.S.R. 1182(E), dated the 6th December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 285(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 29 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"29. लेखाओं का रुपविधान और रखरखाव की रीति -- केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों के एक ही रुपविधान में पेंशन स्कीम के संबंध में समेकित तुलनपत्र के साथ ही साथ समेकित आय और व्यय लेखा का रखरखाव करेगा।"

[फा. सं. एस - 35012/7/2018 एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सं. सा.का.नि. 437(अ) तारीख 4 मई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 285(E).— In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, for paragraph 29, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"29. Format and manner of maintenance of accounts.- The Central Board shall maintain a consolidated income and expenditure account as well as a consolidated balance sheet in respect of the Pension Scheme, in the common format of annual accounts, approved by the Central Government.".

[F. No. S-35012/7/2018-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was last amended vide number G.S.R. 437(E)dated the 4th May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 286(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध (संशोधन) स्कीम, 2019 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 में ---

(क) पैरा 19 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"19. लेखाओं का प्ररुप – कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि के लेखाओं और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन लेखाओं का भी केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीति में जैसा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आयुक्त द्वारा रखरखाव किया जाएगा।"

(ख) प्ररुप 1, प्ररुप 2 और प्ररुप 3 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस-35012/7/2018 एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 170(अ) तारीख 15 फरवरी, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme, further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2019.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976,-

   (a) for paragraph 19, the following paragraph shall be substituted, namely:-

   "19. Form of accounts.- The accounts of the Employees' Deposit Linked Insurance Fund and also the Employees' Deposit Linked Insurance Administration Accounts shall be maintained by the Commissioner in such form and in such manner as may be specified by the Central Board with the approval of Central Government.";

   (b) Forms 1, 2 and 3 shall be omitted.

[F. No. S-35012/7/2018-SS-II]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was last amended *vide* number G.S.R. 170(E) dated the 15th Feburary, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.